संख्या-19 /2026/I/ 1206487/2026/ 23-6099/120/2025

प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषय:- जनपद शाहजहांपुर में गर्रा फाटक से बरेली मार्ग पर गर्रा नदी पर बने पुराने सेतु के ध्वस्तीकरण की मूल्यांकित लागत का समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्रांक-I/148002/2025, दिनांक 24.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद शाहजहांपुर में गर्रा फाटक से बरेली मार्ग पर गर्रा नदी पर बने पुराने सेतु के ध्वस्तीकरण की मूल्यांकित लागत का समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 198.88 लाख को बट्टे खाते में डाले जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में गर्रा फाटक से बरेली मार्ग पर गर्रा नदी पर 2-लेन का अतिरिक्त सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-33/2024/2247/001-1335-2024-23-10-23-2024, दिनांक 24.12.2024 में निहित प्राविधानों को यथावत रखते हुए शासनादेश की शर्त संख्या-11 के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त पुराने सेतु (गर्रा सेतु) का ध्वस्तीकरण सेतु निगम से कराये जाने तथा इस सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-2/2017/ए-2-1235/दस-2017-24(7)/95, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पुराने सेतु के ध्वस्तीकरण की मूल्यांकित लागत का समावेश नवीन परियोजना के डी0पी0आर0 में करते हुए ध्वस्तीकरण से प्राप्त मलबे का अधिकाधिक पुनर्उपयोग सेतु निगम के स्कोप में शामिल कर पुराने सेतु की मूल्यांकित धनराशि में से समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 198.88 लाख को बट्टे खाते में डाले जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी ।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।